निर्गत रजिस्टर के क्रमांक 36 पर दर्ज है।

# वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

**श्री रामचन्दर पटेंल पुत्र श्री लालू राम बजरिये रोमा बिल्डर्स**
**निवासी– आ0 सं0 241, 242, 243 व 244 मौजा रामनगर, वाराणसी**

**पत्रांकः–34/13 ग्रू0हा0 /शमन/विन्यास/वि0प्रा0/2019–20 दिनांकः–** 30.11.19

**विषयः– आराजी सं0– 241, 242, 243 व 244 मौजा रामनगर परगना रामनगर वार्ड–रामनगर ,वाराणसी पर प्रस्तुत स्वीकृत ग्रूपहाउसिंग शमन मानचित्र के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.18 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। तद्क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्रूपहाउसिंग शमन मानचित्र निम्नं उल्लिखित शर्तों के साथ स्वीकृत कर दिया गया है; जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

**संलग्नक– एक सेट स्वीकृत शमन मानचित्र।**

शर्तेः–

1. स्थल पर 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से बुक्षारोपण करना होगा।
2. भवन पूर्ण कराकर वांछित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्राप्त करना होगा।

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग्र का कार्य वाटर बोर्ड का डिजाइन के अनुसार करना होगा, तथा पूर्णता प्रमाण पत्र के समय आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. पक्ष को एन0 जी0 टी0 के संलग्न नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

5. टेरेस क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत भाग पर सोलर पैनल (फोटो बोल्टाइक पैनल) स्थापित करना होगा।

6. स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर स्वीकृत संबंधित विवरण अंकित करना होगा।

7. ग्रूपहाउसिंग निर्माण के संबंध में उ0 प्र0 रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी (रेरा) तथा उत्तरप्रदेश अपार्टमेंट (प्रमोशन आफ कन्स्ट्रक्शन,ओनरशिप एण्ड मेन्टेनेन्स) एक्ट–2010 एवं उसके अर्न्तगत निर्मित नियम, उपविधि व जारी निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8.. ग्रूपहाउसिंग परियोजना में यूपी एनर्जी कन्सरवेशन विल्डिंग कोड 2018 (समय समय पर यथा संशोधित ) के अनुसार भवन के छत पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक मॉग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत एरिया जो भी कम हो, पर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन जोन /सोलर फोटा बोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना करना होगा।

9.. परियोजना में Waste Water Recycling System/ Recycled water का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना होगा तथा परियोजना में कूड़ा प्रबन्धन हेतु प्रवेश द्वार पर भूतल पर दो प्रकार के डस्टबिन (Biodegradabl and Non-Biodegradable) की व्यवस्था की जायेगी ,तथा लोकल स्तर पर ही सालिड वेस्ट के प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जायेगी।

10. भवन परिसर में रामनगर मुगलसराय महायोजना 2031 के बिना एवं सबडिविजन रेगुलेशन /प्रस्तुत मानचित्र में निर्धारित अनुमन्य क्रियाओं का उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध मूल भवन स्वामी, उपस्वामी, किरायेदार/ उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।

**भवदीय,**

**प्रभारी अधिकारी, मानचित्र**